न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—नेहा गिरि, आई.ए.एस, कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

प्रकरण संख्या :— 86/2018 (आर0सी0एम0एस0 नं0 2018/00142)

व उनवानी प्रकरण :—

1. गोपाल पुत्र दूल्हेराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम रहे तहसील बाड़ी जिला धौलपुर———————————————————.प्रार्थी ।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर————. अप्रार्थी ।

जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थिति:—

1. प्रार्थी की ओर से :— श्री जे0 पी0 शर्मा अभिभाषक।
2. अप्रार्थी की ओर से :— श्री अनुभव पाराशर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 05.03.2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार बाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने लाईसेन्सी बन्दूक के बल पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 से प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 173/84 आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17(3) (बी) के तहत निरस्त कर दिया। अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को पुलिस थाना पर जमा कराये जाने के अदेश दिये गए।

अप्रार्थी के आदेश दिनांक 18.11.2013 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.08.2018 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर अप्रार्थी के आदेश क्रमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 (क्र.स.14 प्रार्थी गोपाल पुत्र दूल्हेराम अनुज्ञा पत्र संख्या 173/84 की हद तक) को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें।

5/3/19

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 30.08.2018 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जे0 पी0 शर्मा एवं अप्रार्थी की ओर से श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली के सम्बन्ध में पत्र कमांक 62 दिनांक 11.01.2019 से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1074 दिनांक 13.02.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना बाड़ी सदर मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी से जांच कराई गई प्रार्थी ने शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध थाना बाड़ी में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा होना पाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी ने अपने हथियार का दुरूपयोग कर राजकीय भूमि पर अतिकमण नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है प्रार्थी के विरूद्ध किसी भी थाने में लोक शान्ति भंग करने व अतिकमण की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। इसकी पुष्टि जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट से होती है। इस सम्बन्ध में सीयाराम पुत्र पोखन, रामबाबू पुत्र मूँगा, हरीप्रकाश पुत्र नारायणसिंह ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। प्रार्थी के विरूद्ध की गई रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी ने किस खसरा नम्बर के किस भाग पर कब्जा किया है और ना ही खसरा नम्बर का उल्लेख किया है। प्रार्थी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं हुई है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी ने कभी हथियारों का दुरूपयोग कर लोक शान्ति को भंग की है। अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 18.11.2013 एकपक्षीय रूप से प्रार्थी को बिना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये पारित किया है तथा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.02.2019 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 173/84 बहाल किया जाकर नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी ने हथियार के बल पर राजकीय भूमि पर अतिकमण किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी ने हथियार का दुरूपयोग कर सरकारी भूमि पर अतिकमण किया है। प्रार्थी को सुरक्षा की आवश्यकता न होकर प्रार्थी स्वयं सरकारी भूमि के लिए असुरक्षा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे हालातों के मद्देनजर लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 18.11.2013 को कानून के

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 18.11.2013 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध थाने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त करने की प्रकिया में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अहम भूमिका होती है। चूंकि वह जिले की लोक शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में विस्तृत प्रावधान दिए गए है। एलआर एक्ट एवं आर्म्स एक्ट दोनों ही अपने आप में पूर्ण एवं पृथक–पृथक कानून है। जिनको एक साथ जोड़कर देखना न्यायसंगत नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट 13.02.2019 के द्वारा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी गोपाल पुत्र दूल्हेराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम रहे तहसील बाड़ी थाना बाडी के आर्म्स अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश कमांक 2869 दिनांक 18.11.2013 (क.स.14 प्रार्थी गोपाल पुत्र दूल्हेराम अनुज्ञा पत्र संख्या 173/84 की हद तक) निरस्त किये जाने तथा प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 173/84 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)